**न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.**

**पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**

**राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 92/2019 (09/2017)**

**GCMS NO. : 2017/00032**

| –:: प्रार्थीगण ::– | बनाम | –:: अप्रार्थीगण ::– |
| --- | --- | --- |
| 1. सुखदास पुत्र बलदेव जाति कामड निवासी बैडकलां तहसील जैतारण। | | 1. भंवरदास पुत्र जेठूदास<br>2. कंवरदास पुत्र जेठूदास जाति कामड निवासी बैडकलां तहसील जैतारण।<br>3. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, तहसील जैतारण। |

**राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**तारीख रजूः 24/09/2019**

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

**–:: निर्णय :** **दिनॉकः 28/07/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा रानीवाल पटवार हल्का बैडकलां तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे सायल एवं गैरसायलान् की सामलाती एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 4–02 बीघा ख.नं. 06 रकबा 16–04 बीघा ख. नं. 08 रकबा 44–04 बीघा कुल खसरा 03 कुल रकबा 64.01 कृषि भूमि आई हुई है। जिसमे सायल के पिता मृतक बलदेव पुत्र चेलदास के हक हिस्सा बनता है तथा उसी अनुसार काबिज काश्त सायल है। वंश वृक्षावली अनुसार सायल मृतक चेलदास पुत्र हुकमदास के विधिकं वारिसानो में है तथा अपने पिता के हक हिस्सेनुसार उक्त सम्पति मे काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त सम्पति मे अपने पिता की कब्जे काश्त एवं हक हिस्सेनुसार 1/2 हिस्से की सम्पति मे काबिज काश्त है तथा काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी साथ पेश है। उक्त सम्पति मे हुकमदास के नाम भी उनके देहान्त के बाद उक्त सम्पति वंशावली अनुसार हुकमदास जी के दो संताने [illegible] चेलदास तथा परबुदास थे जिसमे परबुदास नाऔलाद फौत होने के कारण चेलदास के पुत्र जेठूदास को सर्वसम्मति से गोद लिया गया जिसके बाद जेठूदास गोदपुत्र परबुदास के नाम से जाना पहचाना गया तथा फौतेदगी नामान्तिरण मे भी परबुदास के स्थान पर गोदपुत्र जेठूदास के नाम राजस्व रेकर्ड दर्ज किया गया तथा परबुदास का सम्पूर्ण हिस्सा बतौर गोदपुत्र के दर्ज हो गया लेकिन अपने वास्तविक/प्राकृतिक पिता चेलदास के नाम दर्ज खातेदारी में भी बतौर फौतेदगी म्युटेशन नाम दर्ज हो गया जबकि हिन्दू उतराधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

अधिनियम एवं हिन्दू दतक ग्रहण अधिनियम के तहत भी स्पष्ट है कि गोद जाने वाली संतान अपनी नैसर्गिक/प्राकृतिक पिता की सम्पति में किसी प्रकार का हक अधिकार नही रहेगा। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी आदि की लिपिकीय त्रुटिवश उक्त नाम दर्ज कर लिया गया जिसकी जानकारी सायल को होने पर कई बार हल्का पटवारी एवं तहसीलदार साहब से उक्त नाम हटाने बाबत निवेदन भी किया लेकिन उक्त सम्पति में से जेठूदास का नाम हटाने एवं जेठूदास फौत होने पर उनके वारिसान गैरसायलान संख्या एक व दो का नाम नहीं हटाये तथा कानूनी कार्यवाही करने का कहा, उपरोक्त वंशावली अनुसार चेलदास के विधिक वारिसानो में जिन्दा इकलोता वारिसान सायल ही होने से अपने पिता की सम्पति में सम्पूर्ण हिस्से में अपने नाम की घोषणा करवाने एवं जेठूदास के गोद चले जाने से उनके नाम हटवाने तथा उनके फौत होने के बाद दर्ज उनके वारिसानो के नाम को भी हटवाने का सायल अधिकारी होने एवं अपने पिता की सम्पूर्ण आराजी मे एक मात्र इकलौता वारिसान होने के कारण अपने नाम की एवं हक अधिकारों की घोषणा करवाने का सायल अधिकारी होने से एवं अपने नाम का राजस्व रेकर्ड दर्ज करवाने का अधिकारी होने से उक्त प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के सादर पेश है। विवादित आराजी सायल की पैतृक पुश्तैनी होने एवं गैरसायलान् संख्या एक व दो का नाम गलती से दर्ज होने से गैरसायलान् संख्या एक व दो नियतबद्ध हो चुके जबकि उक्त सम्पति सायल के पिता के हक अधिकार की होने से सायल का अपने पिता के हक अधिकारो तक सायल ही कानूनन हक अधिकारी है लेकिन राजस्व रेकर्ड मे सायल की पिता की सम्पति जेठूदास के गोद जाने के बाद भी जरिये फौतेदगी नामान्तरण के गलती से नाम दर्ज होने से एवं जेठूदास फौत होने पर गैरसायलान् संख्या एक व दो के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से उक्त आराजी को गैरसायलान् संख्या एक व दो जरिये बेचान रहन बक्सीस आदि अन्य हस्तान्तरण किसी अजनबी क्रेता को करने पर आमादा है तथा सायल को उसके जायज हक अधिकारी एवं पैतृक पुश्तैनी सम्पति से बेदखल कर वंचित करना चाहते है जिस पर दिनांक 10.12.2016 को गैरसायलान् संख्या एक व दो ने सायल को ऐलानिया कथन किया कि हमारा नाम इस जमीन में है इसलिए हम इसे बेच देंगे तथा तुम्हे मौके से खूर्द बुर्द कर देगे जो विधिक एवं सायल के हक अधिकारो के विपरित है अगर गरसायलान् ऐसा करने में सफल हो जाता है तो सायल हमेशा हमेशा के लिए अपने जायज हक अधिकारी एवं पैतृक पुश्तैनी सम्पति से महरूम होना पडेगा जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति सायल को किसी कदर संभव नही हो सकेगी तथा सायल गैरसायलान् संख्या एक व दो द्वारा किये जा रहे ऐसे अवैधानिक कार्यो का विरोध करेगे तथा हरगिज उन्हें ऐसा नहीं करने देगा जिससे [illegible] पर विवाद बढेगा मल्टीप्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिंग्स् होगी ऐसी परिस्थिति में सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं मौके पर कब्जा काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष मे साबित है यदि गैरसायलान् राजस्व रेकर्ड मे दर्ज गलत नाम के आधार पर उक्त कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते है तो सायल को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं सायल अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारो से महरूम हो जायेगा । इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत है। सायल अपने पिता के सम्पूर्ण हक हिस्सेनुसार काश्त करे काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे उसका मामर्जी अनुसार उपयोग उपभोग करे तो उसमे गैरसायलान् संख्या एक व दो स्वयं व उनके नोकर चाकर हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार से कोई बाधा अडचन पैदा नही करे तथा गैरसायलान् उक्त खसरान् भूमि को किसी प्रकार से रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण नही करे वादपत्र के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे तथा वर्तमान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को यथावत् रखी जाने का आदेश फरमाने की इस्तुदा की है।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। गैरसायलान की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित भूमि सरहद मौजा रानीवाल पटवार हल्का बैड़कंला में आई होने के कथन सही होने स्वीकार है। साथ ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार हिस्से भी सही होने से स्वीकार है। इस प्रकरण में वास्तविकता इस प्रकार है कि राजस्व मौजा रानीवाल पटवार हल्का बैंडकला में स्थित खसरा नम्बर 02 रकबा 04 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 06 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 07 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 08 रकबा 44 बीघा कुल खसरा 03 कुल रकबा 64 बीघा की भूमि के वक्त सेटलमेन्ट के समय काबिज खातेदार काश्तकार रावत सिंह वल्द सुरसिंह थे। जिसके सबूत के रूप में खातौनी बन्दोबस्त इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। भूमि के खातेदार रावतसिंह ने अपनी जायज जरूरत हेतु उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बर 04 की 64 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध बैचान के दिनांक 28.12.1959 को प्रभुदास पुत्र हुकमदास को 1/3 वां हिस्सा व बलदेव दास उर्फ बलदेवराम एवं जेठादास उर्फ जेठाराम पिसरान चेलदास जी को करते हुये उनसे प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बैचाननामा पंजीबद्ध करवाया था। जिसकी प्रमाणित प्रति इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। माफिक बैचाननामा के तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण संख्या 101 के उक्त भूमि क्रेतागण प्रभुदास व अन्य के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई थी। जिसकी प्रति इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रकार से उक्त भूमि जवाब देहन्दा के पूर्वज द्वारा पंजीबद्ध बैचान विलेख के खरीद सुदा भूमि है। इस प्रकार से जवाब देहन्दा के पिता जेठुदास वल्द चेलदास ने 1/3 वे हिस्से की भूमि जरिये पंजीबद्ध बैचान विलेख के खरीद करते हुये मौके पर कब्जा प्राप्त किया व अपने नाम से नामान्तकरण माफिक बैचाननामा अनुसार करवाया था। तत्पश्चात भूमि के खातेदार क्रेता प्रभुदास पुत्र हुकमदास के कोई जायन्दा वारिसान नहीं होने की वजह से उक्त प्रभुदास ने जेठुदास पुत्र चेलदास को माफिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

सामाजिक रिति रिवाज अनुसार गोदनामें का अनुष्ठान करते हुये अपने गोद ले लिया था। तत्पश्चात जेठुदास पुत्र चेलदास को जाति समाज व गांव में जेठुदास दत्तक पुत्र चेलदास के नाम से जाना जाने लगा तथा प्रभुदास की देहान्त उपरान्त जेठुदास उनका दत्तक पुत्र होने से प्रभुदास जी के 1/3 वे हिस्से की भूमि जेठदास को उत्तराधिकार में मिली थी। इस प्रकार से इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 2, 6 व 8 की सम्पूर्ण भूमि में 2/3 वां हिस्सा जेठुदास दत्तक पुत्र प्रभुदास का रहा था एवं 1/3 वा हिस्सा सायल का रहा है। उक्त तथ्यो के अलावा इस पद मे तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप असत्य होने से अस्वीकार है। वास्तविकता में सुखदास के पिता बलदेव दास ने 1/3 हिस्से की भूमि खरीद की थी। उसी माफिक उसका हक अधिकार है तथा शेष 1/3 वे हिस्से की भूमि जवाब देहन्दा के पिता जेठुदास की खरीद के आधार पर व प्रभुदास वाला हिस्सा उत्तराधिकार में प्राप्त होने के आधार पर गैरसायल संख्या 01 व 02 को मिला है। जिसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जवाब प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में दी जा चुकी है तथा इसी अनुरुप पक्षकारो का मौके पर कब्जा काश्त हक हिस्सा व अधिकार है। सायल ने अपने 1/2 वां हिस्सा होना गलत उल्लेखित किया है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यो के अलावा इस पद में तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है । प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप असत्य होने से अस्वीकार है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि न तो हुकमदास के नाम से थी न ही उक्त भूमि हुकमदास के वारिसान को उत्तराधिकार में मिली। बल्कि उक्त भूमि जवाब देहन्दा के पूर्वजो की खरीद सुदा है जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि सुखदास के पिता बलदेव दास ने 1/3 हिस्से की भूमि खरीद की थी।. उसी माफिक उसका हक अधिकार है तथा शेष 1/3 वे हिस्से की भूमि जवाब देहन्दा के पिता जेठुदास की खरीद के आधार पर व प्रभुदास वाला हिस्सा उत्तराधिकार में प्राप्त होने के आधार पर गैरसायल संख्या 01 व 02 को मिला है। जिसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जवाब प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में दी जा चुकी है तथा इसी अनुरुप पक्षकारो का मौके पर कब्जा काश्त हक हिस्सा व अधिकार है। सायल ने इस पद में जेठुदास के गोद जाने से सम्बन्धित जो कथन किये है वो सही है। लेकिन इस भूमि के बाबत हक अधिकार से सम्बन्धित लिखे गये कथन व नामान्तकरण से सम्बन्धित कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। सायल जेठुदास का नाम राजस्व रेकर्ड से हटवाने का कतई अधिकारी नहीं है न ही इस बाबत घोषणा का अनुतोष पाने का अधिकारी है। सायल ने अपने 1/2 वां हिस्सा होना गलत उल्लेखित किया है जो कतई गलत होने से अस्वीकार हे । उक्त तथ्यो के अलावा इस पद में तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप असत्य होने से अस्वीकार है इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि न तो हुकमदास के नाम से थी। उसके बावजूद भी सायल ने इस पद में सम्पूर्ण भूमि पुश्तैनी होना गलत उल्लेखित किया है। बल्कि उक्त भूमि जवाब देहन्दा के पूर्वजो की खरीद सुदा है जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि सुखदास के पिता बलदेव दास ने 1/3 हिस्से की भूमि खरीद की थी। उसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

माफिक उसका हक अधिकार है तथा शेष 1/3 वे हिस्से की भूमि जवाब देहन्दा के पिता जेठुदास की खरीद के आधार पर व प्रभुदास वाला हिस्सा उत्तराधिकार में प्राप्त होने के आधार पर गैरसायल संख्या 01 व 02 को मिला है। जिसके सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जवाब प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में दी जा चुकी है तथा इसी अनुरूप पक्षकारो का मौके पर कब्जा काश्त हक हिस्सा व अधिकार है। व इसी अनुरूप जवाब देहन्दा 2/3 वे हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। सायल ने केवल प्रार्थना पत्र पेश करने की मंशा से प्रार्थना पत्र बाहुल्यता होने व अपने आप को अपूर्णीय क्षति होने से सम्बन्धित झूठे कथनो का उल्लेख किया है। इस प्रकार से इस भूमि के बाबत हक अधिकार से सम्बन्धित लिखे गये कथन व नामान्तकरण से सम्बन्धित कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। सायल जेठुदास का नाम राजस्व रेकर्ड से हटवाने का कतई अधिकारी नही है। न ही इस बाबत घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी है। सायल ने अपने 1/2 वा हिस्सा होना गलत उल्लेखित किया है जो कतई गलत होने से अस्वीकार हे । उक्त तथ्यो के अलावा इस पद में तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद है। इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में सायल का कभी भी कोई कब्जा काश्त व हक अधिकार नही रहा था न ही वर्तमान में है। इसलिए समस्त तथ्यो व परिस्थितियो एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायल की बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी जवाब देहन्दा को होगी। सायल ने इस प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्यो का समावेश करते हुये यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। उक्त तथ्यो के अलावा इस पद में वर्णित अन्य तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि सायल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावे।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

1. **प्रथम दृष्टया मामला:-**

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी/वादी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 [illegible] पिता स्व. श्री जेठूदास को परबुदास का गोद-पुत्र बताते हुए [illegible] संपत्ति में कोई हक-अधिकार न रहने से वादग्रस्त आराजी में अपने [illegible] के हक हिस्से की आराजी में केवल मात्र वादी के पिता एवं [illegible] स्वयं के हक-अधिकार शेष रहने से घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई है।

प्रार्थी ने यह कथन किया है कि अप्रार्थीगण के पिता जेठूदास गोद पुत्र परबूदास का नाम अपने प्राकृतिक पिता चेलदास के नाम दर्ज संयुक्त खातेदारी भूमि में जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के दर्ज हुआ है एवं साथ ही जेठूदास का नाम परबूदास के नाम दर्ज संयुक्त खातेदारी की भूमि में भी जरीये फौतेदगी म्यूटेशन दर्ज हुआ। अप्रार्थीगण द्वारा भी जेठूदास को परबूदास का गोद–पुत्र होने का तथ्य अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है। अतः मूल प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि गोद जाने वाली संतान का अपने नैसर्गिक पिता/प्राकृतिक पिता की संपत्ति में किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं रहता। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी को उनके पूर्वजों द्वारा जरिये पंजीबद्ध बेचान विलेख द्वारा खरीद होना बताया है जो कि साक्ष्य एवं गुणावगुण का विषय है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत हो रहा है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–**

चुंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में निहित होना साबित हुआ है एवं प्रार्थी ने अपने पिता के हक–हिस्सेनुसार उक्त संपत्ति में काबिज काश्त होने एवं उपभोग/उपयोग करने का कथन किया है जिसका अप्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट रूप से खंडन भी नहीं किया गया है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दू भी प्रार्थी/वादी के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–**

चुंकि उक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है साथ ही इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का हस्तांतरण कर सकते हैं। ऐसा होने पर वाद में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी एवं विलम्ब होगा जिससे प्रत्यक्षतः प्रार्थी प्रभावित होगा। अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है हि यदि प्रार्थी के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद बैचान, हस्तान्तरण न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:05 IST
Reason: SelfAttested

**–:: आदेश ::–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा रानीवाल पटवार हल्का बैडकलां तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खसरा नम्बर 2 रकबा 4–02 बीघा ख.नं. 06 रकबा 16–04 बीघा ख.नं. 08

रकबा 44–04 बीघा कुल खसरा 03 कुल रकबा 64.01 बीघा का हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 29/07/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2021.10.11 16:41:05 IST
Reason: SelfAttested